

नई दिल्ली, 8 मई, 2013

का.नि.आ. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सैन्य इंजीनियरी सेवा में अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन और वेतन बैंड	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	3286* (2013)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन बैंड 5,200— 20,200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 वर्ष से 25 वर्ष सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में पांच वर्ष और शिथिलनीय।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(7)

(8)

(9)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बेचलर डिग्री

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति : प्रोन्नति द्वारा 65 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत ।
सीधी भर्ती : सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत ।

प्रोन्नति टिप्पण :

(क) अवर श्रेणी लिपिक (1900 रु. ग्रेड वेतन) में से प्रोन्नति द्वारा 65 प्रतिशत जिन्होंने उक्त श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिसको छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पुनरीक्षित वेतन विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समाप्त की जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) :-

लागू नहीं होता ।

- मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो । —अध्यक्ष
- कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य
- समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका विभाग से संबंध न हो —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर श्रेणी लिपिक	3011* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवालय	वेतन बैंड 5,200—20,200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है
	(7)		(8)		(9)
(i)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।		हां, स्तंभ 10 में उपदर्शित सीमा तक		सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(ii)	कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी में टंकण या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10500 केडीपीएच 9000 के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)				

(10)	(11)
<p>(i) सीधी भर्ती द्वारा 65 प्रतिशत।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा 10 प्रतिशत।</p> <p>(iii) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत।</p> <p>(iv) समूह 'ग' अनौद्योगिक कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 5 प्रतिशत।</p> <p>टिप्पण : यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा ऐसे अधिक कर्मचारी परीक्षा अर्हित करते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चात्पूर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जायेगा ताकि पूर्व परीक्षा अर्हित कर रहे कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाए, जो बाद में परीक्षा अर्हित करते हैं।</p>	<p>(i) डीजीआरई : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) नायक, हवलदार, नायब सुबेदार मेजर, सुबेदार मेजर और ऑनरिरी लेफ्टीनेंट/ऑनरिरी कैप्टन का रैंक धारण कर रहे इंजीनियर कोर से सशस्त्र बल कार्मिक/योधक कार्मिक जो एक वर्ष से अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। उन पर भी विचार किया जाएगा। यदि चयन हो जाता है, ऐसे अधिकारियों को उस तारीख से जिसको वह सशस्त्र बलों से नियुक्ति किया जाता है, प्रतिनियुक्ति के निबंधन पर रखा जाएगा। वे पुनर्नियोजन के निबंधनों पर जारी रख सकेंगे।</p> <p>(ii) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति 10 प्रतिशत रिक्तियां 1800 रु. के ग्रेड वेतन के समूह "ग" कर्मचारीवृंद मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष है।</p> <p>(iii) प्रोन्नति 5 प्रतिशत रिक्तियां समूह "ग" अनौद्योगिक कर्मचारीवृन्द में ज्येष्ठता-सह उपयुक्ता के आधार पर भरी जाएंगी। जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p>
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :-</p> <p>(i) मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशी जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो —अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य</p> <p>(iii) समूह "क" सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जो विभाग से संबंधित न हो —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. पीसी.-IVबी/75014/लिपिकीय वर्ग/आरआर संवर्ग/167/र.(नि.)]

के. के. दैमारी, अवर सचिव

New Delhi, the 8th May, 2013

S.R.O. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 1999, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Ministry of Defence in Military Engineer Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay and pay scale.— The number of said posts, their classification, pay band, grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit,

qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	3286* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5,200—20,200 Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Between 18-25 years (Relaxable for Government Servants upto forty years and further relaxation for five years in case of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
Education and other qualification required for direct recruitment			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Bachelors Degree of a Recognized University			No	Two years for direct recruits	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or absorption and per cent of the posts to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
Promotion : 65% by Promotion 25% by Promotion through Limited Departmental Competitive Examination Direct Recruitment : 10% by direct recruitment.			Promotion : (a) 65% by promotion from amongst Lower Division Clerks (Grade Pay of Rs. 1900) with minimum eight years of regular service in the grade failing which by direct recruitment. (b) 25% by promotion through limited departmental competitive examination of such Lower Division Clerks who have rendered five years regular service		

(11)

in the grade failing which by direct recruitment.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 being the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :—

Not applicable.

- (i) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent. —Chairman
- (ii) Executive Engineer or equivalent —Member
- (iii) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Lower Division Clerk	3011* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5,200-20,200) Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18-25 years of age (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal

(6)

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2 : In respect of posts the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass from a recognized Board or University. (ii) should pass type writing in English with a minimum speed of 35 words per minute or in Hindi with a minimum speed of 30 words per minute on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10,500 KDPH/9000 KDPH on a average of 5 key depression for each word).	Yes, to the extent indicated in column (10)	Two years for direct recruits
(10)	(11)	
(i) 65% by direct recruitment. (ii) 20% by deputation/re-employment (for ex-servicemen). (iii) 10% by promotion through limited departmental examination. (iv) 5% by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from Group 'C' non-industrial employees.	(i) DCRE : Deputation/re-employment (for Ex-Servicemen) The Armed Forces personnel/Combatants personnel from corps of Engineers holding the rank of Naiks, Hawaldars, Naib Subedars, Subedars, Subedar Majors and Honorary Lieutenant/Honorary Captains due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite qualifications as prescribed for direct recruits under column (7) shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. (ii) Promotion through limited departmental examination : 10% of vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' non-industrial staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass from recognized Board or university and have rendered 3 years regular service in	
<p>Note : If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p>		

(11)

the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe).

(iii) Pormotion :

5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' non-industrial in employees who have three years regular service in the posts with the grade pay of Rs. 1800.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—

Not applicable.

- (i) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent. —Chairman
- (ii) Executive Engineer or equivalent —Member
- (iii) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department —Member

[F. No. PC-IVB/75014/Clerical Cadre/RR Amdt./CSCC/167/D (Apptt.)]

K. K. DAIMARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मई, 2013

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय (लेखाकार) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि